न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 2/2014 (613/09)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल		1रावतमल पुत्र रूघनाथ ब्राह्मण (फौत) निवासी खिंयाला तहसील जायल के कायम मुकाम 1/1 द्वारकाप्रसाद पुत्र रावतमल जाति ब्राह्मण निवासी एलाईड प्रोपर्टीज नियर मयूरी जंक्शन पोस्ट विजयनगरम (आन्ध्रप्रदेश)। 2तहसीलदार, जायल। 3बजरंगलाल पुत्र ताराचंद 4ताराचंद पुत्र रामकरण महेश्वरी निवासीगण खिंयाला तहसील जायल जिला नागौर।

उपस्थिति–

1– श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2– श्री भोपाल सिंह एडवोकेट अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से।

आदेश

दिनांक 20.12.2018

1 प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार जायल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तत्कालीन निदेशक महिला एवं बाल विकास अधिकारी, नागौर एवं प्रभारी अधिकारी प्रशासन गॉवों के संग केम्प, खिंयाला द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2001/08 दिनांक 02.10.2001 जिसके द्वारा ग्राम खिंयाला के साबिका खसरा नं. 1162 गै.मु. पायतन के नया खसरा नं. 1803 गै.मु. मगरा में से रकबा 3.00 बीघा भूमि का नियमन किया। इसके पश्चात् राजस्व रेकर्ड में इस आशय का अंकन जरिये नामान्तरकरण सं. 1305 दर्ज हुआ। उक्त आंवटन को निरस्त करवाने एंव पुनः अंगौर दर्ज करवाने के लिये दिनांक 25.09.2009 को आवेदन प्रस्तुत किया गया।

1(1) प्रकरण इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी तहसीलदार का रेफरेंस स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 11.02.2010 के द्वारा ग्राम खिंयाला के गत खसरा नं. 1162 गै.मु. पायतन के वर्तमान ख.न. 1803 किस्म गै.मु. मगरा रकबा 3.00 बीघा का नियमन किये जाने के सबंध में तत्कालीन निदेशक महिला एवं बाल विकास अधिकारी, नागौर एवं प्रभारी अधिकारी प्रशासन गॉवों के संग केम्प, खिंयाला द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2001/08 दिनांक 02.10.2001 को एवं इस आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 1305 ग्राम खिंयाला के खसरा नं. 1803 रकबा 3.00 बीघा भूमि गै.मु. मगरा के संबंध में राजस्व जमाबंदी संवत 2006 से आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को अप्रार्थी को नियमन किये गये आदेश की सीमा तक निरस्त करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को भिजवाया।

1(2) माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर ने प्रकरण संख्या – रेफरेन्स/एलआर/

अपर कलक्टर, नागौर

2013/2257/नागौर राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल बनाम रावतमल में निर्णय दिनांक 24.12.2013 के अनुसार प्रकरण में मृतक रावतमल के उतराधिकारियों व शिकायतकर्ता बजरंगलाल पुत्र ताराचंद व ताराचंद पुत्र रामकरण माहेश्वरी महाजन निवासी खिंयाला की सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया है। पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः नंबर पर लिया जाकर अप्रार्थी रावतमल के उत्तराधिकारी द्वारकप्रसाद को रेकर्ड पर पक्षकार बनाया जाकर तलब किया गया और उजरदार अप्रार्थी सं. 3 व 4 को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारकाप्रसाद को रजिस्टर्ड सम्मन भेजा गया जो जरिये इंकार लौटने से उनके विरूद्व कार्यवाही इकतरफा दिनांक 27.03.18 को की गई है। उजरदार अप्रार्थी बजरंगलाल व ताराचंद की ओर से श्री भगवानसिंह राठौड वकील ने वकालतनामा पेश किया। रेफरेन्स प्रकरण के साथ ग्राम खिंयाला की नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत 2006, संवत 2020–39 एवं जमाबंदी संवत 2061–64, मिलान क्षेत्रफल, नामान्तरकरण सं. 1305 व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 1536/03 निर्णय दिनांक 02.08.04 की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई। उससे संबंधित सूचना मंगवाई गई।

2 उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि –

2(1) संवत् 2006 में ग्राम खिंयाला के साबिका खसरा नं. 1162 नया खसरा नं. 1803 की किस्म भूमि गैरमुमकिन पायतन बतलाई। जिसकी पुष्टि खतौनी संवत 2006 ग्राम खिंयाला से होती है। जिसे सेटलमेन्ट विभाग ने गैरमुमकिन मगरा दर्ज किया है। जिसकी पुष्टि जमाबंदी संवत 2006 एवं 2020–39 से होती है। तत्पश्चात तत्कालीन निदेशक महिला एवं बाल विकास अधिकारी, नागौर एवं प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवों के संग कैम्प, खिंयाला ने अपने आदेश क्रमांक 2001 / 08 दिनांक 02.10.2001 गैरमुमकिन मगरा भूमि में से अप्रार्थी रावतमल पुत्र रूघनाथ जाति ब्राह्मण साकिन खिंयाला को मौजा खिंयाला के खसरा नं. 1803 में से रकबा 3.00 बीघा भूमि गै.मु. मगरा का आंवटन कर दिया। जिसका नामान्तरकरण सं. 1305 स्वीकृत हुआ।

2(2) राजकीय वकील द्वारा यह भी बताया गया कि तहसीदार जायल द्वारा नामान्तरकरण सं. 1305 के अप्रार्थी रावतमल के पक्ष में गै.मु. मगरा भूमि के खातेदारी अधिकार सृजित हुए है। जबकि आराजी भूमि पर खातेदारी अधिकार दिया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत मनाही है।

2(3) प्रश्नगत भूमि आधार तिथि दिनांक 15.08.47 को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन पायतन दर्ज थी। उन्होने यह भी दलील दी कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका सं. 1536/03 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.04 की पालना में उक्त प्रकार की भूमि में किये गये समस्त आवंटन/नियमन एवं बेचान आदि अवैध है। ऐसी भूमि पुनः उसी रूप में राजकीय भूमि घोषित करने के लिये प्रकरण माननीय राजस्व मंडल अजमेर को पुनः भिजवाया जावे।

3 वकील अप्रार्थी सं. 3 व 4 के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में जो आवंटन किया गया है। उसके विरूद्व उन्होने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस भूमि में अप्रार्थी सं. 3 व 4 का भी हित निहित है तथा अप्रार्थी सं. 1 की मृत्यु हो जाने से मृतक व्यक्ति के विरूद्व रेफरेन्स चलने योग्य भी नही है। इसलिये रेफरेन्स की कार्यवाही विधि विरूद्व है।

4 वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि की किस्म आधार तिथी 15.08.47 को गैरमुमकिन पायतन होना खतौनी संवत 2006 से स्पष्ट है। तत्पश्चात भू–प्रबन्धक विभाग ने भी किस्म भूमि गैरमुमकिन मगरा दर्ज की। जिसकी पुष्टि खतौनी (जमाबंदी) संवत 2020–39 से होती है।

अपर कलक्टर, नागौर

तत्कालीन निदेशक महिला एवं बाल विकास अधिकारी, नागौर एवं प्रभारी अधिकारी प्रशासन गॉवों के संग केम्प, खिंयाला द्वारा नियमन करने पर उनके द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2001/08 दिनांक 02.10.2001 को एवं इस आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 1305 ग्राम खिंयाला के खसरा नं. 1803 रकबा 3.00 बीघा भूमि गै.मु. मगरा अप्रार्थी रावतमल पुत्र रूघनाथ जाति ब्राह्मण साकिन खिंयाला के नाम अंकन किया गया है। जिसके आधार पर अप्रार्थी रावतमल के पक्ष में उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार सृजित होना अभिलेख से स्पष्ट है। नदी, गोचर, पायतन, आदि किस्म की भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत नियमन/आवंटन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 1536/03 में दिनांक 02.08.04 को निर्णय पारित कर केचमेन्ट एरिया की भूमि को पूर्ववत लाने के निर्देश दिये है। रिकार्ड के अवलोकन से गै.मु. पायतन से किस्म गै.मु. मगरा कायम किया जाना अभिलेख पर है। जबकि पायतन भूमि पानी का भराव एवं बहाव क्षेत्र होने से ऐसी भूमियों का कतई नियमन नहीं किया जाना चाहिये था। इससे भी आराजी भूमि केचमेन्ट एरिया होना प्रकट करती है।

4 उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन पत्र का पुनः परीक्षण के दौरान जिस आदेश से जमाबंदी में खातेदारी अधिकार सृजित हुए, उक्त आदेश विधि विरूद्व होना प्रतीत होता है। अतः ग्राम खिंयाला के गत खसरा नं. 1162 रकबा 449.01 बीघा गै.मु. पायतन के वर्तमान ख.नं. 1803 किस्म गै.मु. मगरा रकबा 3.00 बीघा गै.मु. मगरा का नियमन किये जाने के सबंध में तत्कालीन निदेशक महिला एवं बाल विकास अधिकारी नागौर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग केम्प खिंयाला के आदेश दिनांक 02.10.2001 को नियमन एवं इस आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 1305 ग्राम खिंयाल के खसरा नं. 1803 रकबा 3.00 बीघा भूमि गै.मु. मगरा के संबंध में राजस्व जमाबंदी संवत 2020–39 से आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को अप्रार्थी को नियमन किये गये आदेश की सीमा तक निरस्त करवाने हेतु मूल प्रकरण पुनः माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है।

5 आदेश आज दिनांक 20.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर